फर्द अहकाम

प्रभातीदेवी बनाम छीतरमल

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

23/2018

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/7/19	प्रार्थिया प्रभातीदेवी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान शर्मा ने मूलवाद सं० 23/2018 में राजीनामा पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई पत्रावली दिनांक 13/7/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
13/7/19	पत्रावली पेश हुई मूलवाद को राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है इसलिये प्रा० पत्र 21 R.T.A. Act के अन्तर्गत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कम हो। बाद प्राप्त दाखिल रखा जावे। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 14:45:31 IST
Reason: SelfAttested